

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

72/2011
23.02.2011

1-पॉचूराम पुत्र बजरंगलाल तेली निवासी देवली तहसील व जिला टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला लेक्टर)टोंक
2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित-(1) श्री पंकज कुमार, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामधन सेनी, श्री दीपक शर्मा अभिभाषक आरबीट्रेटर

निर्णय

दिनांक 6-10-2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम देवली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 4394 में से 4000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा किस्म बरानी-1 भूमि के आधार पर निर्धारण किया है। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर 2,90400 बनाया गया है। प्रार्थी की भूमि में पेड़ लगे हुए हैं,पक्का धोरा बना हुआ है तथा दीवार बनी हुई है। अतः अवार्ड दिनांक 25.06.2010 को निरस्त कर सही रूप से भूमि व स्थान का पुनः मुल्यांकन कर मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 2365/09 दिनांक 25.06.2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब व लिखित बहस पेश हुई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 ख0नं0 4394 में 4000 वर्गमीटर वाके ग्राम देवली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्र करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जि पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप

- 717 -



Handwritten text and stamps at the bottom left corner, including a signature and some illegible text.



से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। अवाप्त शुदा में पेड़ लगे हुए हैं, पक्का धोरा बना हुआ तथा दीवार बनी होना बताया है जो गलत है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजे का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिड्यूल आफ रेट के आधार पर अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 2365/2009 दिनांक 25.06.2010 से प्रार्थी की भूमि ख0न0 4394 अवाप्त रकबा 4000 वर्गमीटर किस्म जमीन बारानी वाके ग्राम देवली का मुआवजा कृषि भूमि की दर से निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेड़ पक्का धोरा व दीवार का मुआवजा चाहा गया है, परन्तु प्रार्थी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके आधार पर अधिक मुआवजा निर्धारण किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 6-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 (चिन्मयी चौधरी)
 आरक्षी ट्रेडर एन.ए.ए. संख्या-112
 (जिला कलेक्टर)
 टोंक